II/निगरानी/सीधी/भू.रा/2017/1779

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

भाईलाल शर्मा पुत्र श्री नर्मदा राम ब्राम्हण, निवासी- ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)

—आवेदक

विरुद्ध

1. श्रीनिवास द्विवेदी पिता स्व. श्री रामकृपाल द्विवेदी, निवासी- ग्राम सेमरी, तहसील सिहावल, जिला सीधी (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल, सिहावल जिला सीधी (म.प्र.)

—अनावेदकगण

<u>न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल सिहावल, जिला सीधी, द्वारा प्रकरण क्रमांक 40अ-12/2015-16 में पारित आदेश पारित दिनांक 20/07/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः</u>

1. यहकि, आवेदक द्वारा पूर्व में अपने भूमि सर्वे क्रमांक 426 रकबा 0.20 हे. का सीमांकन कराया था जिसमें अनावेदक एवं उसके भाई का आवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया था। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा उनके विरुद्ध संहिता की धारा 250 के अधीन तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 51अ-70/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 27/11/2014 द्वारा अनावेदक एवं उसके भाई को आवेदक की भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था।

2. यहकि, इस आदेश के विरुद्ध अनावेदक एवं उसके भाई द्वारा अनुविभागीय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो / निगरानी / सीधी / भू–रा. / 2017 / 1779

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22–06–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री अमित भार्गव उपस्थित अनावेदक –2 की ओर से श्री बी0 एन0 त्यागी शासन के पैनल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता श्री अमित भार्गव उपस्थित होकर राजस्व निरीक्षक मण्डल सिहावल तहसील सिहावल जिला सीधी के प्रकरण कमांक 40 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.07.16 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक द्वारा पूर्व में अपने भूमि सर्वे कमांक 426 रकबा 0.20 है0 का सीमांकन कराया था जिसमें अनावेदक एवें उसके भाई का अवेदक की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया तत्पश्चात आवेदक द्वारा उनके विरूद्व संहिता की धारा 250 के अधीनतहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.11.14 द्वारा अनावेदक एवं उसके भाई को आवेदक की भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी के	

समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो वर्तमान में लंबित है। उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गयी किन्तु उसे जानकारी होने पर उसने सीमांकन के समय उपस्थित होकर मौके पर आपत्ति की एवं पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया । अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

3– मेरे द्वारा अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किया गया है। अनावेदक शासन के अधिवक्ता श्री त्यागी द्वारा तर्क किया गया है कि आवेदक की आपत्ति निराधार होने से निरस्त की गई है। अतः प्रकरण निरस्त किया जावे। मेरे द्वारा प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक ने हल्का पटवारी सेमरी के साथ सीमांकन किया गया है और आवेदक की आपत्ति निराधार होने से निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः राजस्व निरीक्षक मण्डल सिहावल जिला सीधी के प्र0 क0 40/अ–12/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.07.16 स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा

प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सदस्य